International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor – 0.899
Vol.2 No.5 May– June 2015

आधुनिक काल की एक गंभीर समस्या : बाल अपराध

डॉ.महेंद्रकुमार आ. जाधव
समाजशास्त्र विभाग प्रमुख
नाइट कॉलेज ऑफ आर्ट्स ॲण्ड कॉमर्स, कोल्हापूर

प्राक्कथन:

बालअपराध यह प्राचीन काल से आजतक चली आयी एक गंभीर समस्या है । कुछ प्रसंगो में इसका स्वरूप सौम्य होता है तो कुछ प्रसंगों मे भयावह होता है। अपराधियोंके अध्ययन के साथ—साथ बाल अपराधियों का भी अध्ययन किया जाता है। क्योंकि प्रौढ अपराधियों बाल अपराध का परिपाक होता है। किसी भी देश में बाल अपराध होते ही है। बाल अपराध यह वैश्विक समस्या बन गयी है। दिन—ब—दिन बह अधिक जटिल तथा गंभीर स्वरूप धारण कर रही है।

बाल अपराध स्वरूप एवं अर्थ :—

बचपन या बालउम्र यह अविचारी कृत्य करने की उम्र होती है। शरारत करने की उम्र होती है। सभी कोशांत तथा धीमे बच्चों से अधिक शरारती बच्चे अच्छे लगते है। नटखट या शरारती बच्चे जबतक दुसरोंको तकलीफ नही पहुँचाते, नुकसान नहीं करते है तब तक उनकी तारीफ की जाती है। बच्चों में उत्सुकता जिाासा इन प्रवृत्तियों से सामाजिकरण द्वारा उनपर संस्कार किये जाते ह। किंतू अगर वही संस्कार सही नहीं किये गये तो वही बच्चा बाल अपराधी बन जाता है। और उसकी अवनीत हो जाती है। बालको में विध्वंसक तथा समाज विघातक प्रवृत्तियॉ निर्माण होने लगती है। ऐसी परिस्थिती निर्माण न हो यह खबरदारी प्रौढोंको लेनी चाहिए ।

सयानी हुअे लडका—लडकी के प्रचलित कानून के विरोध में तथा सामाजिक नियंत्रण के विरोध में किये हुए कृत्योंको बालअपराध कहा जाता है। फ्रेडलॅडर के मतानुसार “कानून के तहेत कि जानेवाली कार्यवाही करने के लिए पात्र ऐसे दूर्वतन करनेवाले वे बालअपराधी होते है।” बाल अपराधी यह सयानी न हुई व्यक्ति होती है जो समाजविघातक कृत्ये करती है, गलत वर्तन के कारण कानून को तोड़ती है। बालअपराधी असल में किनको कहना चाहिए है इस संबंधमें विभिन्न देशों मे अलग—अलग कानून दिखायी देते है।

इस प्रकार भारत के बाल अपराध का स्वरूप स्पष्ट होता है। गुनाह करने के बाद सभी बाल गुन्हेगार पकडे जाते है ऐसा नही है। कुछ बाल अपराधी सही सलामत रहते है

जो छुटते है वह फिरसे गुनाह करते है। इस प्रकार से वे खतरनाक गुनहगार समझे जाते है। कभी न कभी उसे पकड लिया जाता है। जो पकडे गये है उन्हें उनके अपराध के अनुसार सजा दी जाती है। बाल गुनहगारों को उनके पकडाने के लिए कानून से तहत सजा दी जाती है। बाल अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार सजा दिलाने के लिए बाल न्यायालयों की व्यवस्था कर दी गयी है। बालसुधारगृह तथा अन्य कानून बनायें गये है।

बालअपराध के कारण —

बालअपराध निर्माण होने के लिए कोइ ठोस कारण नही होता ह। बालअपराध निर्माण के कई कारण कम अधिक मात्रा में जिम्मेदार रहते है।

१. व्यसनाधिनता : घरमें जब पिता ही अगर व्यसन करने वाला हो तो बच्चों में भी एक कौतुहल रहता है। मॉ बा पके आड में चोरी छुपे बच्चे बड़ो का अनुकरण करने लगते है। बिडी, सिगार, तंबाकू, शराब आदि इन सभी की लत लगने की बजह से इन्हे पाने के लिए बच्चे चोरी करने लगते है। पैसा कमाने के लिए चोरी जैसा जरिया ढुँढते है। घर में पिता के व्यसनी होने की वजह से घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है व्यसनी तथ दूर्वर्तन पतनी और बच्चो से बार—बार झगडें होते है। घरमें पत्नी तथा बच्चो के साथ किए जानेवाले दूर्वर्तन के कारण बच्चों का मानसिक संतुलन नहीं रहता और उनके हातों कई दृष्कृत्ये बढ जाती है।

२. अश्लिल वर्तन : अश्लिल व्यवहार छोटी उम्र के बच्चो को बहुद जल्द आकृष्ट कर लेते है। उसमें लड़को से अधिक लड़कियों के वर्तन पर सुक्ष्म निगरानी रखना आवश्यक होता है बड़े—बड़े शहरों मे छोटे—छोटे बच्चे भी अश्लिल व्यवहार करके अपनी लैंगिक वासना को पूर्ण करते है। उसी के कारण उन्हे बाल अपराध करने की आदत लग जाती है। माता—पिता में से कोइ भी अश्लिल वर्तन करता हो तो बच्चों के व्यवहार भी उसी तरह के ही होते ह। अनुकरण द्वारा बाल अपराध इसीप्रकार बढ़ता जाता है।

३. माता पिता के झगडे : घर में माता पिता में अगर बेबनाव हो। घर में अगर दोनों की बनती नही बार बार झगडे होते रहे तो बच्चे असुरक्षितता महसूस करने लगते ठै। मॉ—बाप दोनों बच्चों को आकर्षित करते रहते है। कभी—कभी उनपर दबाव डालकर उनको झुठ बालेने के बूरे कृत्य करने को मजबूर करते है। बाप की जेब से मॉ जब उनकी नजर चुराते हुअे पैसे निकालने के लिए सिखाती है। वही बच्चा बाद में पड़ोसी के घर से भी चोरी कर सकता है।

४. कठोर अनुशासन : बच्चों पर विशिष्ट नियंत्रण होना आवश्यक होता है। किंतू शासन करने की भी मर्यादा होती है अनावश्यक शासन से हमें जिस तरह का असर मिलने चाहिए वह मिलते नही एकाध भी गलती उस व्यक्ति से हुअी तो उसको चर्चित किए बिना उसे नजर अंदाज करना पड़ता है। किए हुअी गलती की ओर ध्यान

देने से और उसके लिए कडा शासन करनेसे व्यक्ति को उस शासन का कोइ गम नहीं होता है। वह मात्र एक असाधारण बात उन्हे लगती है। और इसी कारण अक्सर वे नियमों के विरूद्ध बर्ताव करते है। कभी—कभी कडा शासन बाल अपराध घटने का कारण हो जाता है।

५. अभिभावकों के दृष्ट वर्तन : सौतेलापन, गरीबी, बूरी आदते तथा नकारे गये बच्चे और माता—पिता का आलसी होना इन सबकी बजह से बच्चों को अभिभावकों से अथवा माता—पिता से बहुत ही कठोर दूरा आचरण सहन करना पड़ता है। ऐसी स्थिती में बच्चे घ से दूर भाग जाते है अथवा घर में रहते हुअे भी बुरे रास्ते पर चलने लगते है। यही से उनके बुरे कामों की शुरूआत होती है।

६. पारिवारिक विघटन : माता—पिता यह बच्चों की प्राथमिक शिक्षा होती है। माता या पिता इनमे से एक भी बीमार हो, मृत्यू अथवा अलगाव अथवा घटस्फोटित हो या परित्याग किया गया हो इन सभी के वजह से पूरी पारिवारिक तहस—नहस हो जाती है। माता—पिता इन दो पहियों के समान गती पर बालकोंके जीवन की गाडी आगे चलती है। बच्चों के शारीरिक, बौध्दिक, मानसिक वृद्धी की नींव परिवार सें ही होती है इसी कारण विघटीत परीवार के बच्चे बहुत ही जल्द अपराधी बन जाते है। बच्चों का जीवन तहस—नहस हो जाता है वह बच्चे अपराधी बन जाते, प्रेम सहानुभुति, मार्गदर्शन इन सारी बातों से वह ओझल हो जातें है और गुनहगारी को बहुत कम समय में अपना लेते है।

७. बुरे बर्तन करने के लिए बच्चों का उपयोग : गरीबी, व्यसन, आलस्थ आदि कारणों से अभिभावक बच्चों को गलत जगह पर नौकरी लगाते है अपहरण करके लाये गये लडके लडकियों को का समाजद्रोही राक्षसी प्रवृत्तियों के लोग अश्लिल कामों के लिए उपयोग किया जाता है। वे स्वयं उनपर निर्भर रहते है। भारत में ये लोग इन बच्चों का बहुत ही बूरा हाल करते है। इसी कारण यह दुर्देवी बच्चे अपराधी बनते है।

८. अश्लिल चित्रपटएवं साहित्य : अच्छज्ञ क्या बुरा यह समझ आने से पहले ही बच्चे अश्लिल तथा तिव्र भावना से फिल्मे देखते है। अश्लिल किताबे पढ़ते है। उसका बालमन पर बहुत ही प्रभाव पड़ जाता है और वह बच्चे गलत मार्ग अपनाते है। वर्तमान स्थिति में इस दृष्टि से समाज विघटित होता जा रहा है। इस गंभीर प्रश्न पर अभिभावक जनता, चित्रपट निर्माण तथा साहित्यकारो के लिए सोचनेवाली बात हो गयी है।

९. आसरा — गरीबीके कारण बड़ें—बड़े शहरों के घर सीमित तथा छोटे आकार की वजह से, एक छोटे से कमरें मे कई लोग रहते है।, इसी कारण छोटे से कमरे मे जीवन व्यतित करते समय प्रौढ़ों की जो बातें बच्चें के सामने नहीं करनी चाहिए वही बाते अनजाने में बच्चों के सामने हो जाती है। इसका विपरित परिणाम बच्चों के हातो अपराध घट जाते है।

बाल अपराध पर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

१. बालन्यायालये :—

उपर्यक्त सभी बाल अपराध के विविध कारणों को आपने देखा, उससें संबंधित अपराधी के मिलने के बाद उसे किस तरह का शासन करना चाहिए इसके लिए बालन्यायालयोंको चलाया जाता है। बाकी के न्यायालयों से यह न्यायालय अलग तरह की होती है सिर्फ बाल्यावस्था के अपरोधियों की ही सही न्याय दिलाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गयी है। वहॉ पर एक न्यायाधिश, मानसगारश्री, समाजशास्त्री, मानसोपचारतज्ञ आदि व्यक्ति रहते है। बाल अपराधियों को बिना वजह सताया नही जाता है। अपने अपराध की वजह से ही विशेष न्यायालय के सामने उपसिति रहना अपना नैतिक जिम्मेदारी है। इस उद्देश्य उनपर दबाव डाला जाता है। उनमें अपराधी होने की भावना निर्माण होनी जरूरी होता है। यही इसका उद्देश्य उपनर दबाव डाला जाता है। उनमे अपराधी होने की भावना निर्माण होनी जरूरी होता है। यही इसका उद्देश्य होता है। उस अपराधी की प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधी को लिए हुअ अपराध स्वीकारनी पडती है। उसके लिए उसे बहुत ही सौम्य शासन किया जाता है। अपराधियों का अपराध जब तिव्र होता है तो उसके लिए उसे विशेष प्रकार का शासन किया जाता है। अपराधियों को सरकार पुरस्कृत संस्था मे भेज दिया जाता है। वहॉ उस पर आवश्यकतानुसार उपाय किए जाते है उदा. उसे बालसुधारगृह में भेजना ।

२. बालसुधार गृह :

छोटी उम्र के अपराधी बच्चों को शासन करने की वजह से जिस प्रकार बालन्यायालयों की स्थापना की गयी है। उसी प्रकार से बालसुधार गृहों की स्थापना की जाती है। जो बच्चे लावारिस है, भटकते रहते है उनके पास जीवन जीने लायक साधन नहीं रहते है। मात्र चरितार्थ चलाने के लिए अपराध करते है उनको छुडाने के बाद बालसुधारगृह मे उनको भेजा जाता ह। बालन्यायालय में उनकी पूछ ताछ करने के बाद उन्हें शासन किया जाता हैं वह उन्हे बाल सुधारगृह मे भुगतनी पड़ती है। वहॉ उनके साथ परिवार के सदस्य की तरह बर्ताव किया जाता ह। पूरे दिन भर के नियोजन के अनुसार बालकों मे सुधार लाने के लिए प्रयास किए जाते है

भारत में कुछ सुधारगृह सरकारी है। तो कुछ प्राइव्हेट इन सुधारगृहोंको सरकारी अनुदान मिलता है। महाराष्ट्र में ऐसे सुधारगृह व्यवसायिक प्रशिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे सुधारगृहों के कार्य अधिक ध्यान से किया गया तो बढ़ती हुअे बाल अपराध पर निर्बंध लाया जा सकता है।

३. परिविक्षा पध्दती :

इस पध्दती के अनुसार बालअपराधियों को समझ देने की वजह से इस तरह के कानून का निर्माण १९५८ में लिया गया। इस कानून के तहत अपराधीको अच्छा बर्ताव रखने की वजह से कुछ शर्तोपर उसे किये गए शासन को कुछ समय के लिए खुला छोडा जाता है। इसके राज्य सरकार उसकी आर्थिक मदद करता है। इस पध्दती के अनुसार अपराधियोंको कुछ शर्तो का पालन किया जाता है। उदा. १) चोरी जैसे आरोप न हो पाये। २) परिविक्षा अधिकारी के सामने हररोज हाजिरी देनी पड़ेगी। ३) बाहर के किसी गॉव जाना हो तो उसकी अनुमति लेनी होगी। ४) सद्वर्तन रखने के करारनामा लिखकर देना।

इस पध्दती के अनुसार अपराधि के साथ अधिक अच्छा बर्ताव कर, उसके खाने पिने का और कपडों का खर्चा देकर एक आम आदमी का जीवन जीने के लिए उसे सहारा दिया जाता है। ऐसा करने से अपराधी व्यक्ति को अपने किए पर पछतावा है और अपने आप को सही बनाने का प्रयास करता है।

४. अन्य कानून :

उपयुक्त दो प्रमुख उपायों के बावजूद बालअपराध के तहेत भारत में कई कानूनों पर अंमल किया गया है।

१) बालअपराध कानूर (१९३८)

२) बोर्स्टल स्कूल कानून

३) मुंबईका बालकानून

इन सभी कानून के अनुसार बाल अपराधियों मे सुधार करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। छोटे बच्चों को कड़ा शासन न करते हुअे मृदुमन से उनमें किया गया सुधार अधिक प्रभावी रहती है। छोटी उम्र में ही कोठ छोटी—मोटी नौकरी से अधिक शिक्षा पर ध्यान भविष्य की दृष्टिसे हितकारी होता है। बोर्स्टल स्कूल के कानून के अनुसार उनको औद्योगिक शिक्षा देने की अच्छी व्यवस्था की जाती है। २१ साल के बाद शिक्षा के परिणाम स्वरूप उन्हे नौकरी करनी पड़ती है। सामाजिक कार्ये वह प्रत्यक्ष रूप मे सहभाग लेता है।

अपितू इन सभी कानून की वजह से छात्र बालअपराधी को एक अच्छा व्यक्ति बनाना यही इसके उद्देश्य होते है। विभिन्न कानून के तहेत विभिन्न उद्देश्य साध्य किए जाते है।

सारांश :—

समाजशास्त्रज्ञ मानसोपचार तज्ञ, राजकर्ता, अर्थतज्ञ इस स्तर के विद्वानों से लेकर हर—एक परिवार मे इस समस्या के बारे मे चर्चा होनी जरूरी है। बालक इस देश का भविष्य तथा देश का कल का नागरिक होता है। बालकों को देश का आधारस्तंभ

माना जाता है। बालक राष्ट्र की अनमोल देन मानी जाती है। इसी कारण उनकी अच्छी परवरीश करना, उनका संवर्धन करना, उनपर अच्छे संस्कार यह समाज का आद्य कर्तव्य है। बालकों की अच्छी परवरिश की अच्छे संस्कार के लिए तो उनका भविष्य उज्वल हो जाएगा। बालकों से भविष्य में समाज का निर्माण होता है। शिस्तबध आरोग्यपूर्ण, संस्कारक्षम समाजनिर्मीती ले लिए बालकों पर अच्छे संस्कार करना और उन्हे बाल अपराध से बचाना यह भी हमारा राष्ट्रीय तथ सामाजीक कार्य है।

टिप्पणियॉ :

१. स.मा.गर्गे : भारतीय समाज विज्ञान कोष. ३
२. G.R. Madan : Indian Social Problem Vol-1, Altted Publishers Pvt. Ltd.
३. M.G. Pendake : Indian Social Problem Anant Prakashan Reshinbag, Nagpur.
४. Ram Ahuja : Social Problem in India, Rawat Publication, Jaipur.
५. Ram Nath Sharma: Indian Social Problem Media Promoters & Publications, Put Ltd. Bombay.

Website:

1) Juvenile delinguencey under special and local laws S.LL.
2) Inclusion. Skoch in/story
3) Rib.nic.in/Newsite